तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 145/2024 अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2024/156)

अनवानः

1. मांगीलाल गहलोत पुत्र भंवरलाल गहलोत जाति माली निवासी मकान सं. 539 कॉलोनी, गोगागेट के बाहर, मालियों का मौहल्ला, बीकानेर।

....अपीलांट

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र स्व. पन्नालाल ज़ाति माली निवासी पूगल रोड़, सब्जी मण्डी के पीछे, बीकानेर।
2. माणकचंद पुत्र स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी सुजानदेसर, बीकानेर।
3. शान्ति देवी पुत्री स्व. पन्नालाल पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासी छोटा राणीसर बास, बीकानेर।
4. मोडी देवी पुत्री स्व. पन्नालाल पत्नी नत्थुराम जाति माली निवासी हरिराम जी रोड़, भीनासर, बीकानेर।
5. चन्दुदेवी पुत्री स्व. श्री पन्नालाल पत्नि नत्थुराम जाति माली निवासी हरिराम जी रोड़, भीनासर तहसील बीकानेर।
6. श्रीमति देवा देवी बेवाह नत्थुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
7. भंवरलाल भाटी पुत्र नत्थुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
8. दुर्गा भाटी पुत्री नत्थुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
9. पूजा भाटी पुत्री नत्थुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
10. प्रभूदयाल भाटी पुत्र नत्थुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
11. पवन कुमार सेठिया पुत्र विमलकुार सेठिया जाति सेठिया निवासी जैन मंदिर के पास, भीनासर, बीकानेर।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।

.....रेस्पोडेंट्स

09.03.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति पर बहस उभय सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर बीकानेर में वादगत भूमि के बाबत दावा घोषणात्मक प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन चला आ रहा है। कानूनन जब दावा विचाराधीन हो तो इंतकाल की अपील चल नहीं सकती। इसलिए इस आधार पर अपील अपीलांट निरस्त योग्य है। इंतकाल की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडींग होती है, जिसें अधिकारों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। इस मामलें में अपीलांट का कोई हक व हिस्सा वादगत भूमि में नहीं होने के कारण उसे अपील पेश करने की कोई लोकस स्टेण्डाई हासिल नहीं हैं तथा उसके द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु दावा प्रस्तुत कर रखा हैं। इसलिए इस आधार पर भी अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्र बहस कथन किया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपति बिना किसी उचित कारण के पेश की गई है। वादगत भूमि अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की हुई है तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट

संभागीय आयुक्त बीकानेर

स्थापित रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से व्यथित एवं वादगत भूमि के हितबद्ध पक्षकार है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति मय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। उक्त अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। वादगत भूमि बाबत एक घोषणात्मक दावा अन्य न्यायालय में विचाराधीन हैं, जहां पक्षकारों के अधिकार तय होने है। पक्षकारों के वादगत भूमि से संबंधित अधिकारों का विनिश्चय दावें में होना है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में विचाराधीन अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपति स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। पत्रावली नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग-बीकानेर

E. Nirnay 2020